

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 22.04.2024

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में उ0नि0 अनित राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता ज्ञानती देवी पत्नी स्व0 सरवन निषाद निवासी ग्राम सरैया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/पता व अपराधिक इतिहास-

ज्ञानती देवी पत्नी स्व0 सरवन निषाद निवासी ग्राम सरैया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 298/2023 धारा 60 आबकारी अधि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 231/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 धारा 272 भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अनित राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 प्रीति सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. म0का0 खुशबू पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर